



संख्या : /जी०एस०(रिक्ता) / ८३-५/२०१८

प्रेषक,

डॉ रंजीत कुमार सिंहा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहादून दिनांक ३० सितम्बर, २०२२

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : ६७६/क००१००/मान्यता/सम्बद्धता/२०२१ दिनांक २४ जनवरी, २०२२ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर, ऊधमसिंहनगर को बी०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र २०२१-२२ की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

२- शैक्षिक सत्र २०२१-२२ हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७ (२) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्रमांक (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की दरवधि
1	2	3	4	5
01	देवभूमि इन्स्टीट्यूट प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर, लालपुर, ऊधमसिंहनगर।	बी०एड०	100 सीट	2021-22

१- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ ०२ माह में उपलब्ध करायें।

२- संस्थान में मानकानुसार पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला पूर्ण कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।  
३- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

४- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तदविषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

५- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिंहा)

कुलाधिपति के सचिव।

क्रमांक/-

संख्या : २४७५ (१) / जीएस०(शिक्षा) / A3-5/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्दानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य-देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकाट / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

*S. Bhakat*  
(स्वाति एस० भद्रीरिया)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।